

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 22/2020

निर्णय दिनांक -11.06.2020

नगजी राम पिता हीरालाल जाति धोबी आयु वयस्क निवासी नागदा तह0 जावद जिला नीमच म0प्र0।
-प्रार्थी0

// बनाम //

1. वजेराम पिता गोकुल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. देवीलाल पिता अमृतराम जाति काछी उम्र वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. दलीचन्द पिता किशनलाल जाति काछी उम्र वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. प्रकाशचन्द पिता अम्बालाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. श्यामलाल पिता राधाकिशन जाति काछी आयु वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

-विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट
आदेश**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कैली पटवार हल्का कैली तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 247 की आराजी नं0 2288 रकबा 1.2500 हेक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा कैली पटवार हल्का कैली तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 247 की आराजी नं0 2288 रकबा 1.2500 हेक्टेयर हेक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की मालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 11.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

पंकज शर्मा
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा



Scanned with CamScanner

